रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 317] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2014/ज्येष्ठ 23, 1936
No. 317] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2014/JYAISTHA 23, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2014

सा.का.नि. 401(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय श्रम सेवा नियम, 2007 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, केंद्रीय श्रम सेवा में भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय श्रम सेवा (समूह 'क') नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं –** इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ;

(ख) "नियंत्रक प्राधिकारी" से भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय अभिप्रेत है ;

(ग) "समिति" से ऐसी विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टिकरण समिति या छानबीन समिति अभिप्रेत है जो अनुसूची-IV में यथाविनिर्दिष्ट किसी श्रेणी में अधिकारियों की प्रोन्नति, पुष्टिकरण और अकृत्यिक उन्नयन पर विचार करने के लिए इन नियमों के अधीन गठित की गई है ;

(घ) "ड्यूटी पद" से ऐसा कोई पद अभिप्रेत है, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, जो अनुसूची- I में सम्मिलित है ;

(ड.) "श्रेणी" से सेवा की कोई श्रेणी अभिप्रेत है ;

(च) किसी श्रेणी के संबंध में, "नियमित सेवा" से किसी श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिए अनुसूची-III में विहित प्रक्रिया के अनुसार उस श्रेणी में चयन के पश्चात् की गई सेवा की अवधि या अवधियां अभिप्रेत हैं और इसमें वह अवधि या अवधियां सम्मिलित हैं —

(i) जिस पर नियम 5 के अनुसार नियुक्त उन व्यक्तियों की दशा में ज्येष्ठता के प्रयोजनों के लिए विचार किया जाएगा ; और

(ii) जिसके दौरान कोई अधिकारी उस श्रेणी में ड्यूटी पद धारण करता किन्तु जो छुट्टी पर रहने के कारण या अन्यथा उस पद को धारण करने के लिए उपलब्ध नहीं था।

(छ) ''अनुसूची'' से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ज) ''अनुसूचित जाति'' और ''अनुसूचित जनजातियों'' का क्रमश: वह अर्थ होगा जो उनका संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में है ;

(झ) ''सेवा'' से नियम 3 के अधीन गठित केंद्रीय श्रम सेवा (समूह 'क') अभिप्रेत है ।

3. सेवा का गठन – (1) केंद्रीय श्रम सेवा (समूह 'क') के रूप में ज्ञात एक सेवा का गठन किया जाएगा जिसमें नियम 5 और नियम 7 के अधीन सेवा में नियुक्त सदस्य होंगे ।

(2) सेवा में सम्मिलित सभी पद समूह 'क' पद होंगे ।

4. सेवा के सदस्य- निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात् :--

1.(क) ऐसे व्यक्ति जिन्हें नियम 5 के अधीन ड्यूटी पदों पर नियुक्त किया समझा गया है ; और

(ख) ऐसे व्यक्ति जिन्हें नियम 7 के अधीन ड्यूटी पदों पर नियुक्त किया गया है ।

2. उपनियम (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति उसकी नियुक्ति की तारीख से उसको लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य होगा ।

5. प्रारंभिक गठन—(1) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को ऐसे अधिकारियों की सेवा को, जो अनुसूची-I में यथाविनिर्दिष्ट विभिन्न श्रेणियों में केंद्रीय श्रम सेवा नियम, 2007 के अधीन नियमित आधार पर पहले ही नियुक्त किए जा चुके हैं और इस प्रकार नियुक्त अधिकारी, सेवा के प्रारंभिक गठन से संबंधित श्रेणियों में नियुक्त किए गए समझे जाएंगे ।
(2) इन नियमों के प्रकाशन से पूर्व उपनियम (1) में दी गई संबंधित तत्समान श्रेणियों में वर्णित अधिकारियों की नियमित सतत सेवा को ज्येष्ठता, पुष्टि, प्रोन्नति, अकृत्यिक उन्नयन और पेंशन के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा के रूप में संगणित किया जाएगा ।

6. श्रेणियां, प्राधिकृत सं. और उसका पुनर्विलोकन–(1) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पद उनकी संख्या और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) इन नियमों के प्रारंभ के पश्चात् विभिन्न श्रेणियों में ड्यूटी पदों की प्राधिकृत स्थायी संख्या वह होगी, जो समय-समय पर, केंद्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी।

(3) केंद्रीय सरकार, विभिन्न श्रेणियों में ड्यूटी पदों की संख्या में अस्थायी वृद्धि या कमी, जो समय-समय पर आवश्यक समझी जाए, कर सकेगी।

(4) केंद्रीय सरकार, आयोग से परामर्श करके, अनुसूची-I में सम्मिलित पदों से भिन्न किसी पद को सेवा में सम्मिलित कर सकेगी या उक्त अनूसची में सम्मिलित किसी पद को सेवा से अपवर्जित कर सकेगी।

(5) केंद्रीय सरकार, आयोग से परामर्श करके, ऐसे अधिकारी को, जिसका पद उपनियम (4) के अधीन सेवा में सम्मिलित है, किसी अस्थायी या अधिष्ठायी हैसियत में, जो वह ठीक समझे, सेवा की समुचित श्रेणी में नियुक्त कर सकेगी और समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए साधारण आदेशों या अनुदेशों के अनुसार उस श्रेणी में उसकी ज्येष्ठता नियत कर सकेगी ।

7. सेवा का भावी अनुरक्षण—अनुसूची-I में निर्दिष्ट किन्हीं श्रेणियों के पद, इस नियम में उपबंधित रीति से भरे जाएंगे और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति की तारीख से संबंधित श्रेणियों में सेवा के सदस्य होंगे ।

(क) सेवा के कनिष्ठ काल-वेतनमान में साठ प्रतिशत पद, अनुसूची-II में यथाविनिर्दिष्ट शैक्षिक अर्हता और आयु-सीमा के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे और शेष चालीस प्रतिशत पद, अनुसूची-III में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा सहित कल्याण प्रशासक और श्रम अधिकारिता अधिकारी (केंद्रीय) के पद धारण करने वाले निम्नतर श्रेणी के ऐसे अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा भरे जाएंगे ।

(ख) ज्येष्ठ काल-वेतनमान में सभी पद और उससे उच्च पदों को अनुसूची-III में यथाविनिर्दिष्ट भर्ती की पद्धति, चयन का क्षेत्र और न्यूनतम अर्हक सेवा के अनुसार भरा जाएगा ।

(ग) अधिकारियों की प्रोन्नति, निम्नलिखित दशा के सिवाय 'चयन' द्वारा की जाएगी, अर्थात् :--

उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय)/कल्याण आयुक्त/कल्याण आयुक्त (मुख्यालय)/श्रम कल्याण आयुक्त/निदेशक (प्रशिक्षण) और सेवा की कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में समतुल्य को अकृत्यिक चयन श्रेणी, समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार उनकी उपयुक्तता पर आधारित ज्येष्ठता के क्रम में प्रदान की जाएगी ।

(घ) सेवा के प्रत्येक पद पर प्रोन्नति द्वारा भर्ती, अनुसूची-IV में यथाविनिर्दिष्ट समिति की सिफारिशों पर की जाएगी ।

8. ज्येष्ठता—(1) नियम 5 के अधीन सेवा के प्रारंभिक गठन के समय किसी श्रेणी में नियुक्त अधिकारियों की सापेक्ष ज्येष्ठता, इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को अभिप्राप्त अनुसार होगी :

परंतु यदि किसी ऐसे सदस्य की ज्येष्ठता उक्त तारीख को विनिर्दिष्ट रूप से अवधारित नहीं की गई थी तो वह ज्येष्ठता नियतन को शासित करने वाले उन नियमों के आधार पर अवधारित की जाएगी, जो इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सेवा के सदस्यों को लागू थे ।

(2) नियम 5 के अधीन नियुक्त व्यक्तियों से भिन्न सेवा में भर्ती अधिकारियों की ज्येष्ठता का अवधारण, समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए साधारण अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा ।

(3) उन मामलों में जहां अधिकारी उपनियम (1) और उपनियम (2) के अंतर्गत नहीं आते हैं, वहां ज्येष्ठता का अवधारण, केंद्रीय सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से किया जाएगा ।

9. परिवीक्षा—(1) सेवा के कनिष्ठ काल-वेतनमान के पद पर नियुक्त प्रत्येक अधिकारी, दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा :

परंतु नियंत्रण प्राधिकारी, सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि को बढा सकेगा :

परंतु यह और कि परिवीक्षा की अवधि, बढाने का कोई विनिश्चय, परिवीक्षा की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति के पश्चात् तुरंत किया जाएगा और साधारणतया आठ सप्ताह के भीतर तथा संबद्ध अधिकारी को ऐसा करने के कारणों के साथ लिखित रूप में उक्त अवधि के भीतर संसूचित किया जाएगा ।

(2) परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर या उसके किसी विस्तार पर, यदि अधिकारियों को स्थायी नियुक्ति के उपयुक्त समझा जाता है तो सेवा में उनकी पुष्टि कर दी जाएगी ।

(3) यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान, नियंत्रण प्राधिकारी की यह राय है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो नियंत्रण प्राधिकारी, यथास्थिति, उसे सेवोन्मुक्त कर सकेगा या उसे सेवा में उसकी नियुक्ति के पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगा ।

(4) परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान, किसी अधिकारी से नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण और अनुदेशों को प्राप्त करने या ऐसी परीक्षाएं या परीक्षण (जिनमें हिन्दी में परीक्षा भी सम्मिलित है) उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जा सकेगी जो नियंत्रण प्राधिकारी, परिवीक्षा के संतोषप्रद रूप से पूरी करने की शर्त के रूप में ठीक समझे ।

(5) परिवीक्षा से संबंधित अन्य ऐसे मामले के संबंध में, जो इन नियमों के अंतर्गत नहीं आते हैं, सेवा के सदस्य, केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गए आदेशों, अनुदेशों द्वारा शासित होंगे ।

10. भारत के किसी भी भाग में सेवा का दायित्व और सेवा की अन्य शर्तें – (1) सेवा में नियुक्त अधिकारी, भारत में कहीं भी या भारत से बाहर सेवा करने के दायित्व के अधीन होंगे ।

(2) सेवा में नियुक्त कोई अधिकारी, यदि इस प्रकार अपेक्षा की जाए, तो चार वर्ष से अन्यून की अवधि के लिए, जिसमें प्रशिक्षण में व्यतीत अवधि भी सम्मिलित है, यदि कोई है, किसी रक्षा सेवा में या भारत की रक्षा से संबंधित किसी पद पर सेवा करने के दायित्व के अधीन होगा :

परंतु ऐसे अधिकारी से—

(क) सेवा में उसकी नियुक्ति की तारीख से दस वर्षों की समाप्ति के पश्चात् यथापूर्वोक्त सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी;

(ख) यदि वह चालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है तो सामान्यतया उससे यथापूर्वोक्त सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

(3) उन विषयों की बाबत, जिनके लिए इन नियमों में कोई विशिष्ट उपबंध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तें वही होंगी जो केंद्रीय सिविल सेवा के समूह 'क' अधिकारियों को समय-समय पर लागू होती हैं ।

11. निरर्हता—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकारों को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

12. शिथिल करने की शक्ति—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

13. व्यावृत्ति - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

14. निर्वचन—यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न पैदा होता है तो वह आयोग के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा ।

अनुसूची-I
[नियम 2(घ), 6(क) तथा 7 देखिए]

केंद्रीय श्रम सेवा (समूह 'क') की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पदों के नाम, संख्या और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान

क्र.सं.	श्रेणी और पदाभिधान	पदों की संख्या*	वेतन बैंड या वेतनमान	ग्रेड वेतन
1.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एसएजी) [मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय)]	1	वेतन बैंड – 4, 37400 - 67000/- रु.	10000/-रु.
2.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एनएफएसजी)	36**	वेतन बैंड – 4, 37400 - 67000/- रु.	8700/-रु.
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (जेएजी) [उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय)/कल्याण आयुक्त/कल्याण आयुक्त (मुख्यालय)/श्रम कल्याण आयुक्त (केंद्रीय)/निदेशक(प्रशिक्षण)]		वेतन बैंड – 3, 15600 - 39100/- रु.	7600/-रु.
4.	ज्येष्ठ काल-वेतनमान (एसटीएस) [प्रादेशिक श्रमायुक्त (केंद्रीय)/(उप श्रम कल्याण आयुक्त) (केंद्रीय)/उप कल्याण आयुक्त (केंद्रीय)]	112	वेतन बैंड – 3, 15600 - 39100/- रु.	6600/-रु.
5.	कनिष्ठ काल-वेतनमान (जेटीएस) [सहायक श्रमायुक्त (केंद्रीय)/सहायक श्रम कल्याण आयुक्त (केंद्रीय)/सहायक कल्याण आयुक्त /सहायक निदेशक] (जेटीएस में दिखाए गए पदों में प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण और छुट्टियों के लिए आरक्षित पद भी सम्मिलित हैं)	194	वेतन बैंड – 3, 15600 - 39100/- रु.	5400/-रु.

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

**वेतन बैंड – 4, (37400-67000/-रु. और ग्रेड वेतन 8700/-रु.) के वेतनमान में 'अकृत्यिक चयन श्रेणी ' में पदों की संख्या को ज्येष्ठ ड्यूटी पदों (अर्थात् ग्रेड वेतन 6600/-रु. या उससे अधिक के वेतन बैंड के पदों सहित) के 30 प्रतिशत तक निर्बंधित किया जाएगा। काडर की कुल संख्या में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी और 'अकृत्यिक चयन श्रेणी ' में प्रवर्तित पदों की संख्या कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में उपलब्ध पदों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

अनुसूची-II
[नियम 7(क) देखिए]

केंद्रीय श्रम सेवा (समूह 'क') के कनिष्ठ काल-वेतनमान वाले पदों पर सीधी भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता, अनुभव और आयु-सीमा निम्न प्रकार होंगी :--

आवश्यक :—

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री ;

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से सामाजिक कार्य या श्रम कल्याण या औद्योगिक संबंध या कार्मिक प्रबंधन या श्रम विधि में डिप्लोमा।

वांछनीय :

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री।

टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

आयु-सीमा : 35 वर्ष से अनधिक।

टिप्पण 1 : केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,

जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

अनुसूची-III

[नियम 2(च) और नियम 7(ख) तथा (ग) देखिए]

केंद्रीय श्रम सेवा (समूह 'क') की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पदों पर, प्रोन्नति पर नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धति, चयन का क्षेत्र

क्र.सं.	पद का नाम	भर्ती की पद्धति	चयन का क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा
1	2	3	4
1	**ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एसएजी)** मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय)	प्रोन्नति द्वारा (चयन आधार पर)	प्रोन्नति : जेएजी श्रेणी में के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में एनएफएसजी सहित आठ वर्ष की नियमित सेवा की है या ऐसे अधिकारी, जिन्होंने सेवा के समूह 'क' पदों पर सत्रह वर्ष की नियमित सेवा की है जिसके अंतर्गत कम से कम चार वर्ष की नियमित सेवा जेएजी में होनी चाहिए (जेएजी की एनएफएसजी में की गई सेवा सहित)।
2	**एनएफएसजी** अकृत्यिक चयन श्रेणी (एनएफएसजी)	अचयन	वेतन बैंड – 3 (15600 – 39100 धन ग्रेड वेतन 7600/-रु0) में के ऐसे कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जो उस वर्ष की 1 जनवरी को नियमित सेवा के चौदहवें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और समय-समय पर जारी किए गए केंद्रीय सरकार के अनुदेशों द्वारा अधिकथित मानदंडों को पूरा करते हैं।
3	**कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (जेएजी)** [उप मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय)/(कल्याण आयुक्त)/कल्याण आयुक्त (मुख्यालय)/श्रम कल्याण आयुक्त (केंद्रीय)/ निदेशक(प्रशिक्षण)]	प्रोन्नति द्वारा (चयन आधार पर)	प्रोन्नति : ज्येष्ठ काल-वेतनमान श्रेणी के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने वेतन बैंड – 3 (15600 – 39100 धन ग्रेड वेतन 6600/-रु0) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।
4	**ज्येष्ठ काल-वेतनमान(एसटीएस)** [प्रादेशिक श्रमायुक्त (केंद्रीय)/(उप श्रम कल्याण आयुक्त) (केंद्रीय)/उप कल्याण आयुक्त (केंद्रीय)]	प्रोन्नति द्वारा (चयन आधार पर)	प्रोन्नति : कनिष्ठ काल-वेतनमान श्रेणी के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने वेतन बैंड – 3 (15600 – 39100 धन ग्रेड वेतन 5400/-रु0) में चार वर्ष नियमित सेवा की है।
5	**कनिष्ठ काल-वेतनमान(जेटीएस)** [सहायक श्रमायुक्त (केंद्रीय)/(सहायक श्रम कल्याण आयुक्त) (केंद्रीय)/सहायक कल्याण आयुक्त (केंद्रीय)/सहायक निदेशक]	60 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : 15 प्रतिशत (40 प्रतिशत का) प्रोन्नति, ऐसे कल्याण प्रशासक से जिसने वेतन बैंड – 2 (9300 – 34800 धन ग्रेड वेतन 4600/-रु0) में, उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री रखता है ; और 85 प्रतिशत (40 प्रतिशत का) प्रोन्नति, ऐसे श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केंद्रीय) से जिसने वेतन बैंड – 2 (9300 – 34800 धन ग्रेड वेतन 4600/-रु0) में, उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जो किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री रखता है।

टिप्पण 1 : ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे अधिकारी, जो केंद्रीय श्रम सेवा (समूह 'क') नियम, 2007 की अधिसूचना की तारीख को अर्थात् 15.05.2008 को नियमित आधार पर कल्याण प्रशासक और श्रम प्रवर्तन अधिकारी के पद धारण किए हुए हैं वे अनुसूची-II में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताओं से छूट प्राप्त हैं।

टिप्पण 3: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1.1.2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा।

टिप्पण 4: जब कभी राज्य या संयुक्त काडर का भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी, केंद्र में वेतन बैंड 3 या वेतन बैंड 4 में किसी विनिर्दिष्ट ग्रेड वेतन वाली विशिष्ट श्रेणी में तैनात किया जाता है तो संगठित समूह 'क' सेवा के बैचों से संबंधित ऐसे अधिकारी, जो दो वर्ष या अधिक अवधि से ज्येष्ठ हैं और जिन्हें उस विशिष्ट श्रेणी में अभी तक प्रोन्नत नहीं किया गया है, उन्हें विहित निर्बंधनों और शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन केंद्र में उस विशिष्ट श्रेणी में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी की तैनाती की तारीख से अकृत्यिक आधार पर वही श्रेणी प्रदान की जाएगी ।

अनुसूची- IV

[नियम 2(ग) और 7(घ) देखिए)]

केन्द्रीय श्रम सेवा के समूह 'क' अधिकारियों की प्रोन्नति, पुष्टि और अकृत्यिक उन्नयन के मामलों पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना :

क्र.सं.	पद का नाम	प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति	पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए विभागीय पुष्टि समिति	अकृत्यिक उन्नयन (एनएफयू) पर विचार करने के लिए छानबीन समिति
1	2	3	4	5
1.	**ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (एसएजी)** [मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय)]	(i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—**अध्यक्ष** (ii) सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय - **सदस्य** (iii) अपर सचिव या संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय - **सदस्य**	लागू नहीं होता	(i) सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय - **अध्यक्ष** (ii) अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय - **सदस्य** (iii) संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय - **सदस्य**
2.	**एनएफएसजी (जेएजी)** (अकृत्यिक चयन श्रेणी)	(i) सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय - **अध्यक्ष** (ii) संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय - **सदस्य** (iii) मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) - **सदस्य**	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
3.	**कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (जेएजी)** [उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) या कल्याण आयुक्त या कल्याण आयुक्त (मुख्यालय) या श्रम कल्याण आयुक्त या निदेशक (प्रशिक्षण)]	i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - **अध्यक्ष** ii) अपर सचिव या संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय - **सदस्य** iii) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) - **सदस्य**	लागू नहीं होता	(i) सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय - **अध्यक्ष** (ii) संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय - **सदस्य** (iii) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)- **सदस्य**
4.	**ज्येष्ठ काल वेतनमान (एसटीएस)** [प्रादेशिक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) या उप श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय) या उप कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय)]	(i) सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय - **अध्यक्ष** (ii) संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय - **सदस्य** (iii) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)- **सदस्य**	लागू नहीं होता	(i) सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय - **अध्यक्ष** (ii) संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय - **सदस्य** (iii) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)- **सदस्य**
5.	**कनिष्ट काल-वेतनमान (जेटीएस)** [सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) या सहायक श्रम कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय) या सहायक कल्याण आयुक्त (केन्द्रीय) या सहायक निदेशक]	(i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - **अध्यक्ष** (ii) अपर सचिव या संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय - **सदस्य** (iii) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) - **सदस्य**	i) अपर सचिव या संयुक्त सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय - **अध्यक्ष** ii) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) - **सदस्य** iii) निदेशक या उप सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय- **सदस्य**	लागू नहीं होता

टिप्पण : आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की अनुपस्थिति से समिति की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी, यदि समिति के आधे से अधिक सदस्य उसकी बैठक में उपस्थित थे ।

[फा. सं. ए-12018/ 01/ 2012-सीएलएस-I]

ए. सी. पाण्डे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATON

New Delhi, the 11th June, 2014

G.S.R. 401(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Labour Service Rules, 2007, as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment and other conditions of service to the Central Labour Service, namely:—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Central Labour Service (Group 'A') Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.—**In these rules, unless the context otherwise requires.—

(a) "Commission" means the Union Public Service Commission;

(b) "Controlling Authority" means the Central Government in the Ministry of Labour and Employment;

(c) "Committee" means the Departmental Promotion Committee or Departmental Confirmation Committee or Screening Committee constituted under these rules to consider promotion, confirmation and Non-functional Up-gradation of officers in any grade as specified in Schedule-IV;

(d) "duty post" means any post, whether permanent or temporary included in Schedule-I;

(e) "grade" means a grade of the Service;

(f) "regular service" in relation to any grade means the period or periods of service in that grade rendered after appointment to a grade according to the procedure prescribed in Schedule-III, for regular appointment to that grade and includes any period or periods—

(i) taken into account for the purposes for seniority in the case of those appointed as per rule 5;

(ii) during which an officer would have held a duty post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such posts;

(g) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(h) "Scheduled Caste" and "Scheduled Tribes" shall have the same meanings as assigned to them in clauses (24) and (25) respectively of article 366 of the Constitution;

(i) "Service" means the Central Labour Service (Group 'A') constituted under rule 3.

3. Constitution of the Service.—(1) There shall be constituted a Service known as the Central Labour Service (Group 'A') consisting of members appointed to the Service under rules 5 and 7.

(2) All the posts included in the Service shall be Group 'A' posts.

4. Members of the Service. —The following persons shall be members of the Service, namely:-

1. (a) persons deemed to have been appointed to duty posts under rule 5; and

(b) persons appointed to duty posts under rule 7.

2. A person referred to in clause (a) of sub-rule (1) shall be member of the Service in the appropriate grade applicable to him from the date of his appointment.

5. Initial Constitution. — (1) The Service shall on the date of commencement of these rules consists of officers who have already been appointed on a regular basis under the Central Labour Service Rules 2007 in various grades as specified in Schedule-I and the officers so appointed shall be deemed to have been appointed to the respective grades at the initial constitution of the Service.

(2) The regular continuous service of officers mentioned in sub-rule (1) in the respective corresponding grades rendered prior to the publication of these rules shall count as qualifying service for the purpose of seniority, confirmation, promotion, Non-functional up-gradation and pension.

6. Grades, authorised strength and its review.– (1) The duty posts included in the various grades of the Service, their numbers and Pay band and Grade Pay or pay scale, on the date of commencement of these rules, shall be as specified in Schedule-I.

(2) After the commencement of these rules, the authorised permanent strength of the duty posts in various grades shall be such as may, from time to time, be determined by the Central Government.

(3) The Central Government may make temporary additions or deletions to the strength of the duty posts in various grades as deemed necessary from time to time.

(4) The Central Government may, in consultation with the Commission, include in the service any post other than those included in the Schedule-I or exclude from the service a post included in the said Schedule.

(5) The Central Government may, in consultation with the Commission appoint an officer whose post is included in the Service under sub-rule (4) to the appropriate grade in a temporary capacity or in a substantive capacity, as may be deemed fit and fix his seniority in that grade in accordance with the general orders or instructions of the Government issued from time to time.

7. Future maintenance of service.—The posts in any of the grades referred to in Schedule-I shall be filled in the manner hereinafter provided in this rule, and the persons so appointed shall be the members of the Service in the respective grades from the date of such appointment.

(a) Sixty per cent of the posts in the Junior Time Scale of the Service shall be filled by direct recruitment through the Commission on the basis of the educational qualifications and age limit as specified in Schedule-II, and the remaining forty per cent of the posts shall be filled by promotion amongst officers in the lower grade holding the post of Welfare Administrator and Labour Enforcement Officer (Central) with minimum qualifying service as specified in Schedule-III.

(b) All the post in the Senior Time Scale and above shall be filled in accordance with the method of recruitment, field of selection and minimum qualifying service as specified in Schedule-III.

(c) The promotion of officers shall be made by 'Selection' except in the following case namely:-

Grant of Non-Functional Selection Grade to the Deputy Chief Labour Commissioner(Central)/Welfare Commissioner/ Welfare Commissioner (Headquarters)/Labour Welfare Commissioner/Director (Training) and equivalent in the Junior Administrative Grade of the Service shall be in the order of seniority based on their suitability in accordance with the guidelines issued by the Central Government from time to time.

(d) Recruitment by promotion to every post of the Service shall be made on the recommendations of the Committee as specified in Schedule-IV.

8. Seniority.- (1) The relative seniority of the officers appointed to a grade at the time of initial constitution of the Service under rule 5 shall be as obtaining on the date of commencement of these rules:

Provided that if the seniority of any such member had not been specifically determined on the said date, the same shall be determined on the basis of rules governing the fixation of seniority as was applicable to the members of the Service prior to the commencement of these rules.

(2) The seniority of officers recruited to the Service other than appointed under rule 5 shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Central Government from time to time.

(3) In case of the officers not covered under sub-rule (1) and (2), seniority shall be determined by the Central Government in consultation with the Commission.

9. Probation.- (1) Every officer appointed to the post of Junior Time Scale of the Service shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time in this behalf:

Provided further that any decision for extension of period of probation shall be taken immediately after the expiry of the initial period of probation and ordinarily within eight weeks and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for doing so within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, the officers, if considered fit for permanent appointment, shall be confirmed in the Service.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Controlling Authority is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, he may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be.

(4) During the period of probation or any extension thereof, an officer may be required by Controlling Authority to undergo such course of training and instructions or to pass such examinations and tests (including examination in Hindi) as the Controlling Authority may deem fit, as a condition to the satisfactory completion of probation.

(5) As regards other matters relating to probation, not covered by these rules, the members of the Service shall be governed by the orders, instructions issued in this regard by the Central Government from time to time.

10. Liability for service in any part of India and other conditions of service.- (1) The officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

(2) Any officer appointed to the Service, if so required, shall be liable to serve in any Defence Service or post connected with the defence of India, for a period not less than four years, including the period spent on training, if any:

Provided that such officers-

(a) shall not be required to serve as aforesaid after expiry of ten years from the date of his appointment to the Service;

(b) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid if he has attained the age of forty years.

(3) The conditions of service of the members of the Service in respect of matters for which no specific provision is made in these rules, shall be the same as are applicable, from time to time, to Group 'A' officers of Central Civil Service.

11. Disqualification.—No person.—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the Service:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

12. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion, that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

13. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

14. Interpretation.—If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Central Government in consultation with the Commission.

SCHEDULE-I

[See rules 2(d), 6(a) and 7]

Name; Number and Pay band and grade pay or pay scale of duty posts included in the various grades of the Central Labour Service (Group 'A')

S.No.	Grade and designation of the post	No. of Posts*	Pay band or Pay scale	Grade Pay
1.	Senior Administrative Grade (SAG) [Chief Labour Commissioner (Central)]	1	*Pay band - 4, Rs. 37400-67000*	*Rs. 10,000/-*
2.	Junior Administrative Grade (NFSG)		*Pay band - 4, Rs. 37400-67000*	*Rs. 8700/-*
3.	Junior Administrative Grade (JAG) [Deputy Chief Labour Commissioner (Central)/Welfare Commissioner/Welfare Commissioner (Headquarters)/Labour Welfare Commissioner (C)/ Director (Training)]	36 **	*Pay band - 3, Rs. 15600-39100*	*Rs. 7600/-*
4.	Senior Time Scale (STS) [Regional Labour Commissioner (Central)/Deputy Labour Welfare Commissioner (C)/Deputy Welfare Commissioner (C)]	112	*Pay band - 3, Rs. 15600-39100*	*Rs. 6600/-*
5.	Junior Time Scale (JTS) [Assistant Labour Commissioner (Central)/Assistant Labour Welfare Commissioner(C)/Assistant Welfare Commissioner/Assistant Director] (The number of posts in JTS includes posts which are reserved for deputation, training and leave).	194	*Pay band - 3, Rs. 15600-39100*	*Rs. 5400/-*

* Subject to variation depended on work load.

** The number of posts in 'Non-functional Selection Grade' in the Pay band - 4, (Rs. 37400-67000 and Grade Pay Rs. 8700/-) shall be restricted to 30% of senior duty posts in the cadre (i.e. posts in Pay bands with Grade Pay of Rs. 6600/- & above). There will be no increase in the overall strength of the cadre and the number of posts to be operated in the 'non-functional selection grade' shall not exceed the number of posts available in the Junior Administrative Grade.

SCHEDULE-II

[See rule 7 (a)]

Educational qualification, experience and age limits for direct recruitment to the posts in Junior Time Scale of Central Labour Service (Group 'A') shall be as under:-

Essential:-

(i) Degree of a recognised University;

(ii) Diploma in Social Work or Labour Welfare or Industrial Relations or Personnel Management or Labour Law from a recognised University or Institution.

Desirable:

Degree in Law from a recognised university.

Note 1: Qualification(s) are relaxable at the discretion of the Commission in case of candidates otherwise well qualified.

Note 2: The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Commission in case of candidates belonging to Schedule Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Age limit: No exceeding 35 years.

Note 1: Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshdweep).

SCHEDULE-III

[See rules 2 (f) and 7 (b) and (c)]

Method of recruitment, the field of selection for appointment on promotion basis, to duty posts included in the various grades of the Central Labour Service (Group 'A')

Sl. No.	Name of the post	Method of Recruitment	Field of selection and the minimum qualifying service for promotion.
1	2	3	4
1	**Senior Administrative Grade (SAG)** [Chief Labour Commissioner (Central)]	By promotion (on selection basis)	*Promotion:* *Officers in the JAG with eight years' regular service in the grade including NFSG or Officers with 17 years' regular service in the Group 'A' posts in the service out of which at least four years' regular service should be in the JAG (including service rendered in the NFSG of the JAG).*
2	**NFSG (JAG)** Non-Functional Selection Grade(NFSG)	Non-Selection	*JAG officers in the Pay band – 3 (Rs. 15600 - 39100 plus Grade Pay of Rs. 7600/-) who have entered fourteen years of regular service on the 1st January of the year and fulfills the criteria laid down by the Central Government instructions issued from time to time.*
3	**Junior Administrative Grade (JAG)** [Deputy Chief Labour Commissioner (Central)/ Welfare Commissioner/ Welfare Commissioner (H'qrs)/ Labour Welfare Commissioner(C)/Director (Training)]	By promotion (on Selection basis)	*Promotion:* *Officers of the Senior Time Scale Grade in the Pay band – 3 (Rs. 15600 - 39100 plus Grade Pay of Rs. 6600/) with Five years' regular service in the grade.*
4	**Senior Time Scale (STS)** [Regional Labour Commissioner (Central)/ Deputy Labour Welfare Commissioner (C)/ Deputy Welfare Commissioner (C)]	By promotion (on Selection basis)	*Promotion:* *Officers of the Junior Time Scale (JTS) Grade in the Pay band-3 (Rs. 15,600-39,100 plus Grade Pay Rs. 5400/-) with four years' regular service in the grade.*
5	**Junior Times Scale (JTS)** [Assistant Labour Commissioner (Central)/ Assistant Labour Welfare Commissioner (C)/ Assistant Welfare Commissioner (C)/ Assistant Director]	60% by Direct Recruitment 40% by promotion	Promotion: 15% (of 40%) Promotion from Welfare Administrator in the Pay band 2 (Rs.9300-34800 plus Grade Pay of Rs .4600/-) with five years' regular service in the grade and possessing Degree from a recognized University; and 85% (of 40%) Promotion from Labour Enforcement Officer (Central) in the scale of Pay band 2 (Rs. 9300-34800 plus Grade Pay. Rs. 4600/-) with five years' regular service in the grade and possessing Degree from a recognized University.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2: Feeder grade officers holding the post of Welfare Administrator and Labour Enforcement Officer on regular basis on the date of notification of Central Labour Service (Group 'A') Rules 2007 i.e. 15/05/2008 are exempted from possessing the Educational Qualifications prescribed for direct recruitment in Schedule - II.

Note 3: *For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.*

Note 4: *Whenever an Indian Administrative Service Officer of the State or Joint Cadre is posted at the Centre to a particular grade carrying a specific grade pay in the Pay band 3 or Pay band 4, the Officers belonging to batches of Organised Group 'A' Services that are senior by two years or more and have not so far been promoted to that particular grade would be granted the same grade on non-functional basis from the date of posting of the Indian Administrative Service Officer in that particular grade at the centre subject to fulfilment of prescribed terms and conditions.*

SCHEDULE-IV
[See rules 2(c) and 7(d)]

Composition of Committees for considering cases of promotion, confirmation and non-functional up-gradation of Group 'A' Officers of Central Labour Service:

Sl. No.	Name of Post	Departmental Promotion Committee for considering promotion	Departmental Confirmation Committee for considering confirmation	*Screening Committee for considering Non-functional Up-gradation (NFU)*
1	2	3	4	5
1	**Senior Administrative Grade (SAG)** [Chief Labour Commissioner (Central)]	(i) Chairman or Member, Union Public Service Commission. **Chairman** (ii) Secretary, Ministry of Labour and Employment – **Member** (iii) Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment **– Member**	Not applicable.	*(i) Secretary, Ministry of Labour and Employment) – **Chairman*** *(ii) Additional Secretary, Ministry of Labour and Employment – **Member*** *(iii) Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment – **Member***
2	**NFSG (JAG)** (Non-functional Selection Grade)	(i) Secretary, Ministry of Labour and Employment **- Chairman** (ii) Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment **– Member** (iii) Chief Labour Commissioner (Central) **– Member**	Not applicable.	*Not applicable*
3	**Junior Administrative Grade(JAG)** [Deputy Chief Labour Commissioner (Central) or Welfare Commissioner or Welfare Commissioner (Headquarters) or Labour Welfare Commissioner or Director (Training)]	i) Chairman or Member, Union Public Service Commission—**Chairman** ii) Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment—**Member** iii) Chief Labour Commissioner(Central)—**Member**	Not applicable.	*(i) Secretary, Ministry of Labour and Employment) – **Chairman*** *(ii) Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment – **Member*** *(iii) Chief Labour Commissioner (Central) – **Member***
4	**Senior Time Scale (STS)** [Regional Labour Commissioner (Central) or Deputy Labour Welfare Commissioner (C) or Deputy Welfare Commissioner (C)]	i) Secretary, Ministry of Labour and Employment—**Chairman** ii) Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment—**Member** (iii) Chief Labour Commissioner (Central)—**Member**	Not applicable.	*(i) Secretary, Ministry of Labour and Employment) – **Chairman*** *(ii) Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment – **Member*** *(iii) Chief Labour Commissioner (Central) – **Member***

5	**Junior Times Scale (JTS)** [Assistant Labour Commissioner (Central) or Assistant Labour Welfare Commissioner (C) or Assistant Welfare Commissioner (C) or Assistant Director]	(i) Chairman or Member, Union Public Service Commission - **Chairman** (ii) Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment – **Member** (iii) Chief Labour Commissioner (Central) **– Member**	i) Additional Secretary or Joint Secretary, Ministry of Labour and Employment—**Chairman** ii) Chief Labour Commissioner (Central) —**Member** (iii) Director or Deputy Secretary, Ministry of Labour and Employment —**Member**	*Not applicable.*

Note:- The absence of a member, other than the Chairman or a member the Commission shall not invalidate the proceedings of the Committee, if more than half the Members of the Committee had attended its meetings.

[F. No. A-12018/01/2012-CLS-I]

A. C. PANDEY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.